

कार्यालय सहायक अभियंता पी. डब्लू. डी. बी. & आर. महेंद्रगढ़ (हरि०)

यादि क्र.../३३५

दिनांक ११/०१/२०२१

सेवामे,

प्रबंधक राव श्योजीराम मेमोरियल शिक्षा समिति,

डिगरोता तह व जिला महेंद्रगढ़ (हरि०)

विषय :- विषय Disable/ असहाय छात्रों की सुविधा बारे

प्रार्थना पत्र के आधार पर लिखा जाता है की राव श्योजीराम मेमोरियल शिक्षा समिति महेंद्रगढ़ के अन्तर्गत शिक्षण संस्था हेतु तीन मंजिलिय भवन में पड़े तथा असहाय छात्रों को रैंप की सुविधा डी गई है। तीन मंजिली भवन में लगभग 35000 फुट एरिआ में बना हुआ है। जो आर्किटेक्ट द्वारा भूकंप विरोधी नियम अनुसार बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। जो सुरक्षा के दृष्टि से शिक्षण बिल्डिंग बनाई गई है।

सहायक अभियंता
Sub. Divisional Engineer
P.W.D. & R. महेंद्रगढ़
P.W.D. B&R Mohindergarh

J

जिला सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी, नारनौत

फाइल नं. 572/NPL/43

दिनांक 4.1.2021

सेवाओं

प्रबंधक एवं श्रमजीराम मेमोरियल शिक्षा समिति

डिगरीज एंड एंजलि मंडल (एन।ए.)

विषय :- अनाधिकारी प्रमाणपत्र देने की

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 8 नवंबर, 2010 को एवं श्रमजीराम मेमोरियल शिक्षा समिति डिगरीज एंड एंजलि मंडल शिक्षा समिति को शिक्षा समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 और पंजाब अधिनियम अधिनियम 1911 द्वारा बना सहोचित के अंतर्गत क्रमांक NPL / 43 पर पंजीकृत किया गया है तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अनाधिकारी संस्थाओं का ही पंजीकृत किया जाता है। जिसने एवं श्रमजीराम मेमोरियल शिक्षा समिति डिगरीज एंड एंजलि मंडल है। जिसका प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

जिला रजिस्ट्रार शिक्षा
Dist. Registrar
of P.N. and Society
Narainot

सेवा में

छमकल केन्द्र अधिकारी
महेन्द्रगढ़।

प्रिन्सीपल
एस0 डी0 एस0 कॉलेज डिगरोता।
यादि क्रमांक FBM -16

दिनांक 22.07.2020

श्रीमान् जी,

उपरोक्त विषय में एस0 डी0 एस0 कॉलेज डिगरोता के प्रस्तावित कॉलेज का इन्चार्ज दमकल केन्द्र महेन्द्रगढ़ द्वारा अग्नि सुरक्षा दृष्टि से निरीक्षण किया गया स्थल अग्नि रक्षा दृष्टि से सुरक्षित पाया गया प्रस्तावित स्थल डिगरोता से भाइडोला रोड पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल पर दमकल वाहन आसानी से पहुँच सकता है। इसलिए अग्नि सुरक्षा दृष्टि से कार्यालय को प्रस्तावित स्थल पर एस0 डी0 एस0 कॉलेज डिगरोता को चलाने में कोई आपत्ति नहीं है।

नोट :- अग्नि सुरक्षा एवं सावधानियां :-

1. ए0 बी0 सी0 व डी0 सी0 पी0 टाईप अग्नि शमन यंत्र ISI मार्क क्षमता 8 किलो ग्राम के 10 नग हैं।
2. आग बुझाने वाली बाल्टियां 8 नग हैं।
3. दमकल विभाग के टेलिफोन नं0 222640 व 101 ताल अक्षरों से लिखा हुआ है।
4. धूम्रपान निषेध बोर्ड लिखा हुआ है।
5. बिजली फिटिंग अण्डर ग्राउंड व भारतीय मानक के अनुसार होनी चाहिए।

उपरोक्त सभी अग्नि शमन यंत्र भारतीय मानक के अनुसार होने चाहिए अगर दीगारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सुझाव अनुसार या सुरक्षा साधन नहीं पाये गये तो इस कार्यालय को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने की सिफारिश करने का हक होगा। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष के लिए 22.07.2020 से 27.07.2021 के लिए मान्य होगा।


दमकल केन्द्र अधिकारी
महेन्द्रगढ़

To,

The Chairman

Late Rao Sheoji Ram Memorial Shiksha Samiti,
Village Digrota Teh.&Distt. Mahendergarh

Memo No. 1210 Dated 2-09-2019

Sub :- Issue of Bulding Safety Certificate.

Ref :-Your Application dated 16.08.2019

The school building of Rao Sheoji Memorial Shiksha Samiti, Village Digrota Teh. & Distt. Mahendergarh has been inspected by Sh.Krishan Kumar JE 29.08.2019 according to his report the dimension of above building is according drawing.

It is further added that Department is not responsible for any safety regard building structure through the building was not construed by this department.

The certificate is valid upto 31.03.2021

DA/NII


Sub. Divisional Engineer
Provi. Sub. Division
P.W.D. B&R Mohindergarh

सरपंच महीपाल

मो 9991289858

सरपंच ग्राम पंचायत डिगरोता

गांव - डिगरोता (मंगढ)

Ref No : 03/21

Date : 15/01/2021

प्रमाणित किया जाता है कि शिव शमोजीशम
सौ माहिबल शिंदे सांगी गांव डिगरोता में
M.D.Sth College of Education में संस्था है।
इसकी Building गांव से 1 km पर संस्था है।
संस्था के नाम रजिस्ट्री है ग्राम पंचायत डिगरोता
(म.गढ) को कोई आपत्ति नहीं शिक्षा संस्था
में जो 2000 भवन बना हुआ इसे पंचायत
डिगरोता Approve किया जाता है। सुदामान
के अनुसार शिक्षा भवन अच्छा है जहाँ भूकंप
विरोधी है और Building बहुत अच्छी है।

Mahibal

सरपंच
ग्राम पंचायत डिगरोता
मंगढ

(55)

प्रेषक

जिला नगर योजनाकार
नारनील।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
नारनील।

यादि क्रमांक 102 जिनको (ना) NOC दिनांक 16-2-2011

विषय :- स्थल सम्बन्धित रिपोर्ट :- शन 2 गोजीराम भोगीराम शिवा रामिरी, डीगरोता, मोन्डगट.

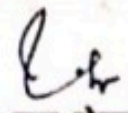
हवाला :- आपके पृ० क्रमांक 6-1/2410-224/3218 दिनांक 13-1-2011 के सन्दर्भ में एव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शेष राजस्व दस्तावेज दिनांक 04-2-2011 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय पर हवालादिन पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दल द्वारा राजस्व सम्पदा डीगरोता तहसील जिला-मोन्डगट, की प्रयुक्त भूमि का मु० खसरा नं० 33

तादादी 32 तालीम 2/4 इस कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले नियन्त्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्रों की सीमा से बाहर पड़ते हैं। तथापि सूचना/रिपोर्ट निम्नलिखित शर्तों पर ही मान्य होगी :-

1. उपरोक्त भूमि/क्षेत्र, नियन्त्रित क्षेत्र घोषित होने पर "नियन्त्रित क्षेत्र अधिनियम -41 आफ 1963" एवम् शहरी क्षेत्र घोषित होने पर "शहरी क्षेत्र अधिनियम -8 आफ 1975" मान्य होगा।
2. अन्य सम्बन्धित विभाग से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
3. स्कूल से सम्बन्धित सरकार द्वारा निर्धारित Rule & Regulation की पुष्टि अपने स्तर पर करवायें।
4. अधिसूचित सड़क के दोनों तरफ 30 मीटर की पट्टी पर निर्माण करना वर्जित है।

यह सूचना/रिपोर्ट इस क्षेत्र में जागू किसी अन्य एक्ट/नियमों में कोई छूट प्रदान नहीं करती है।


जिला नगर योजनाकार,
नारनील।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

No. CBSE/AFF/Aff no. 531173/EX-02520-1718/2017/1232018

Dated: 3/03/2017

The Manager,
MDS Public School
Village Digrota, Dist. Mahendragarh,
Haryana-123029

Sub: Extension of Provisional Affiliation to the above said school (Affiliation no. 531173) beyond 31.03.2017 - reg.

Sir/Madam,

This is with reference to your online application registered on 28.06.2016 on the above subject.

In this connection, I am directed to convey the sanction for extension of provisional affiliation of the school with the Board for its Secondary School Examination and Senior School Certificate Examination for a further period of five years w.e.f. 01.04.2017 to 31.03.2022 subject to the fulfillment of the following conditions:-

1. The School is required to abide itself by the Examination/Affiliation-Bye-Laws of the Board
2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents by 30th June of the preceding year in which the Provisional Affiliation expires as per Rule 15.11 of Affiliation Bye Laws.
3. The school will follow the syllabus on the basis of curriculum prescribed by NCERT/CBSE and text books publishing by NCERT/CBSE for the Middle Classes. The school will follow syllabus and courses as per scheme of studies prescribed by the Board for Secondary/Sr. Secondary School Examination and changes made therein from time to time.
4. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt from time to time.
5. The school will enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in the Affiliation Bye-Laws of the Board which shall not in general exceed the optimum number as under from Pre-Primary to Class XII :-

	Campus area	Enrolment	No. of Sections (pre-primary to X)	No of Sections at Sr. Secondary (XI & XII)
(a)	1.0 acre	1250	02 in each class	04 in class XI and XII
(b)	1.5 acre	1875	03 in each class	04 in class XI and XII
(c)	2.0 acre	2500	04 in each class	04 in class XI and XII
(d)	School running on bigger campus of more than 02 acres, the number of students shall be restricted as per the actual facilities in the school which shall be proportionate to the optimum number mentioned at (a), (b) and (c) above.			
(e)	Schools running on less than 01 acre campus shall restrict number of students as follows -			
	Category		Area of land	No. of students
(i)	Secondary School		2000 sq mtr.	600 upto Class X
(ii)	Sr. Secondary School with two streams		3000 sq mtr.	900 to Class XII

Cont...2/

(35)

प्रेषक

जिला नगर योजनाकार
नारनौल।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
नारनौल।

यादि क्रमांक 102

जिनको (ना) NOC दिनांक 16-2-2011

विषय :-

स्थल सम्बन्धित रिपोर्ट :- शरण श्यामजीराम मैमोरियल शिक्षा समिति, डीगरोता, भेहेन्द्रगढ़।

हवाला :-

आपके पृ० क्रमांक 6-1/2010-224/3218 दिनांक 13-1-2011 के सन्दर्भ में एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शेष राजस्व दस्तावेज दिनांक 04-2-2011 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय पर हवालाधिन पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दल द्वारा राजस्व सम्पदा डीगरोता 1730 व जिला-भेहेन्द्रगढ़, की प्रयुक्त भूमि के मु० खसरा नं० 33

तादादी 32 कनाल 214 इस कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले नियन्त्रित क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों की सीमा से 34-14 बाहर पड़ते हैं। तथापि सूचना/रिपोर्ट निम्नलिखित शर्तों पर ही मान्य होगी :-

1. उपरोक्त भूमि/क्षेत्र, नियन्त्रित क्षेत्र घोषित होने पर "नियन्त्रित क्षेत्र अधिनियम -41 आफ 1963" एवम् शहरी क्षेत्र घोषित होने पर "शहरी क्षेत्र अधिनियम -8 आफ 1975" मान्य होगा।
2. अन्य सम्बन्धित विभाग से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
3. स्कूल से सम्बन्धित सरकार द्वारा निर्धारित Rule & Regulation की पुष्टि अपने स्तर पर करवायें।
4. अधिसूचित सड़क के दोनों तरफ 30 मीटर की पट्टी पर निर्माण करना वर्जित है।

यह सूचना/रिपोर्ट इस क्षेत्र में लागू किसी अन्य एक्ट/नियमों में कोई छूट प्रदान नहीं करती है।

जिला नगर योजनाकार,
नारनौल।

From: -

District Town Planner
Mahendergarh at Narnaul

To,

The Chairman of M/s Rao Sheoji Ram Memorial Siksha Samiti,
Digrota, Tehsil & District Mahendergarh (HR).

Memo No.

321

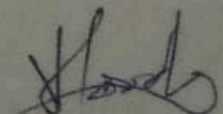
Dated: - 18/2/13

Subject: No Objection Certificate of setting up a MDS College and Decree
College of M/s Rao Sheoji Ram Memorial Siksha Samiti at
village Digrota, Tehsil & District Mahendergarh.

Ref: Society's /Firm Application No. NIL dated 21.01.2013.

On the subject cited above, it is informed that the Khasra No.33//22/2/2, 23/1 measuring an area 2 Kanal 14 Marla but society is the owner of 2 Kanal 14 Marla situated in the revenue estate village Dogrota, Tehsil & District Mahendergarh falls out side of the controlled area notified under Act No.41 of 1963 and Urban Area under Act No.8 of 1975 so far. However, this information is being supplied on the following condition:-

1. That as and when the site will be covered under any Controlled /Urban Area declared by the government. You will have to seek permission under the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Area Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and Haryana Development and Regulation of Urban Area Act, 1975.
2. This certificate does not provide any immunity from any of the provisions of any other Acts / Rules applicable on this land.


District Town Planner
Mahendergarh at Narnaul

